

प्रहल "ख"

देखिए नियम 8 (2) और (3)



कार्यालय, विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार विराटनगर

संख्या/राजस्व/ 06/ 217-221

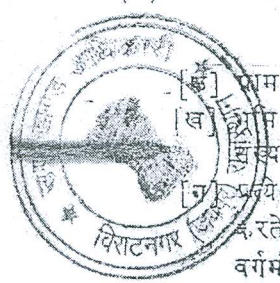
दिनांक... 3-2-06

संपरिवर्तन आदेश

समन्वित ग्राम्य विकास शिक्षा संस्थान शाहपुरा

श्री. निदेशक श्री रघुवीर सिंह चौधरी 86-81 प्रकाश नारायण निवासी शाहपुरा के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिवृत्ति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व [ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन] नियम, 1992 के नियम 8 (2)/8 [3] के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी हैं -

- (1) आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, समन्वित ग्राम्य विकास शिक्षा संस्थान शाहपुरा पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता जरिचे निदेशक श्री रघुवीर सिंह चौधरी 86-81
- (2) क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है। प्रकाश नारायण चौधरी निवासी शाहपुरा नहीं
- (3) संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा ग्राम पापड़ी के आखाने 935, 936, 937 के से खाने 935



सम्पूर्ण खाने 936 में से 1320 वर्ग मीटर, 937 में से 860 वर्ग मीटर
[क] ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम 6.24 ग्राम पंचायत सोढाना तहसील विराटनगर
[ख] भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा खसरा का क्षेत्रफल (हेक्टर में) 935, 936, 937 हैं में से कुल 2500 वर्ग मीटर + 1320 + 860
[ग] प्रत्येक खसरा सं. के क्षेत्रफल को उपरोक्त करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल हेक्टर या वर्गमीटर में कुल 4680 वर्ग मीटर

सत्य-प्रतिलिपि

टिप्पणी:- अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दशाति हुए, राजस्व नक्शे के मुताबिक भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

- 4 संपरिवर्तन का प्रयोजन वाणिज्यिक प्रयोजनाधी
- 5 सदेय प्रीमियम की दर 2000 वर्ग मीटर $\times 1 \times 4 = 8000 + 18000$ वर्ग मीटर $\times 8 = 14400 + 26800$ वर्ग मीटर $\times 1 \times 8 \times 2 = 42880$
- 6 चालान की सं. तथा तारीख सहित कुल शक्ति 58080 का - पा. सं. 198-199 दि. 2-9-75 5496 + 5496 = 10992
- बमा कराया गयी प्रीमियम की रकम पा. सं. 477-478 दि. 2-2-06 5496 + 5496 = 10992
- चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम X
- 8 चालान की सं. तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम X
- 9 क्या आवेदक नियमितीकरणों के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया है
- 10 अन्य कोई विशिष्टियां, यदि हों कोई

सत्य-प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

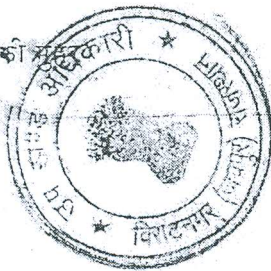
COMPAIRED B. नोट:- शाखम उपसचिव जयपुर के प/2-3/राज-भू. कपान्तरण/2005 के अन्तर्गत 4-10-06 के अनुसार सड़क के मध्य बिन्दु से 100 फुट अतिक्रमण भूमि संपरिवर्तन की जाती है। छोटी गली में पर खातेदार द्वारा कोई किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण नहीं किया जावेगा।

(2)



॥-उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

- (1) उपर्युक्त अध्यादेश प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा,
- (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन संप्रभुत हो जायेगा,
- (3) नियम-4 में यथा-वर्णित भूमि का उपयोग अध्यादेश प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा,
- (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विहित मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा



विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
उप उपखंड अधिकारी
ज्योती नगर (जयपुर)

जिला कलेक्टर/उपखंड अधिकारी

तहसीलदार ज्योती नगर

संख्या/राजस्व/06/217-2

प्रतिलिपि

तारीख 3-2-06

प्रतिलिपि:-

उप उपखंड अधिकारी
ज्योती नगर (जयपुर)

[1] जिला कलेक्टर कलकत्ता (शा.ले.0) जयपुर के सूचना के अधीन है।

[2] ग्राम पंचायत सोठाना

[3] आवेदक श्री समन्वित शास्त्र मिश्र शिक्षा सेवानु
शास्त्रिय जय निदेशक श्री रघुवीर सिंह
जयपुर नि. शास्त्रिय

उप उपखंड अधिकारी
ज्योती नगर (जयपुर)

तहसीलदार ज्योती नगर

[4] तहसीलदार ज्योती नगर के पासना के अधीन है।

[5] कार्यलय प्रति

COMPAIED B



सचिव
ज्योती नगर (जयपुर)